प्रेस विज्ञप्ति
रांची वि०वि०

कार्यशाला - R.U. W.G.R. Cell द्वारा

आज दिनांक 9/3/16 को मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित की गई - जो अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजित कार्यक्रमों की तीसरी कड़ी के रूप में है. जिसका विषय — लिंग जागरूकता एवं महिला सुरक्षा था.

कार्यक्रम का शुभ आरम्भ दीप प्रजवलित कर कुलगीत द्वारा किया गया. मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत प्राचार्य डा० रंजीत सिंह द्वारा किया गया.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि V.C., R.U. प्रो० रमेश कुमार पाण्डेय ने छात्र-छात्राओं को महिला जागरूकता के लिए परिवार से संघर्ष करने का संदेश दिया. कहा कि- जिन परिवारों मे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है - वहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं. रांची वि० वि० के परीक्षा-फलों में लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छा करती हैं - जो वि० वि० के लिए गौरव की बात है. उन्होंने रांची वि० वि० में अधिकारी एवं कर्मचारी के रूप में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का भी आश्वासन दिया.

कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आई. जी. CID श्रीमती सम्पत मीना द्वारा छात्र-छात्राओं को महिला दिवस की बधाई दी और इस अवसर पर आरम्भ की जाने वाली 'शक्ति एप' की जानकारी प्रदान की - इसके अन्तर्गत महिला कमाण्डो महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे. CID के helpline पर महिलाएं एवं छात्राएं अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगी, महिला थानों में भी उन्हें सुरक्षा दी जाएगी.

उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया कि बेटियों की (2)
शिखर लक्ष्य प्राप्ति से ही जोड़ी जा सकती हैं,
इसके लिए आत्म विश्वास एवं लगन की आवश्यकता
है।

कार्यशाला का विषय प्रवेश डा० रेणु विमल,
सदस्य सचिव रा० वि० वि० महिला शिकायत निवारण
सेल द्वारा किया गया - उन्होंने वैदिक काल की
विदुषी महिलाएं - मैत्रेयी, गार्गी, गोपा, मुद्रा का
उल्लेख करते हुए इन्हें नारी शक्ति का
रोल मॉडल बतलाया जो उच्च शिक्षा एवं
युद्ध - कला में प्रवीण थीं. लेकिन पुरुष प्रधान
समाज 'सीता' जैसी त्यागमयी महिलाओं को ही
महत्व देता है - द्रोपदी जैसी तर्कशील एवं
हाजिर जवाब को नहीं. देश की आजादी के संघर्षों
में भी अनगिनत महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे
से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं; जिसके
फलस्वरूप 1950 में संविधान बनने पर महिलाओं को
पुरुषों के समान शिक्षा, रोजगार, विवाह, तलाक,
सम्पत्ति अधिकार, वोट देने का अधिकार हासिल
हुए - महिलाओं की सुरक्षा हेतु कई कानून
बने, सरकारी योजनाएं बनीं, लेकिन विडम्बना
है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था आज
भी इसे द्वितीय दर्जे के नागरिक जैसी ही मान्यता
देती है. वह कितनी भी योग्य, शिक्षित व
क्षमतावान हो हिंसा की शिकार है - घर और
बाहर दोनों. उसे शंका की निगाह से देखा जाता है
पुलिस और कानून उसे सुरक्षा प्रदान करने में
कारगर नहीं हैं. अतः इन्हें अपनी सुरक्षा हेतु स्वयं कदम
उठाने की जरूरत है, इन्हें संगठित होना है - x

* इन दूसरों की मदद करनी है, आत्मबल व, आत्म विश्वास विकसित करना है - सहना छोड़कर कहना शुरू करना है।

③

प्रथम सत्र के कार्यक्रम की अध्यक्षता Dr. E.A. Aind द्वारा और संचालन डा० अजय मलकानी द्वारा किया गया.

द्वितीय सत्र में विभिन्न विभागों एवं महाविद्यालयों से छात्र-छात्राओं से प्रश्न आमंत्रित किये गये - जिनमें निम्न प्रमुख है —

1. महिला असमानता एवं महिला हिंसा के कारण क्या है?
2. महिला आरक्षण पुरुषों के लिए क्यों नहीं - इससे औरतें कमजोर मानी जाती है।
3. दहेज प्रथा कैसे दूर की जा सकती है?
4. भ्रूण हत्या के दोषियों को सजा क्यों नहीं दी जाती है?
5. सरकार लड़कियों को क्या क्या सुरक्षा प्रदान कर सकती है
6. हर विभाग व कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है

7) महिला जागरूकता के साथ साथ पुरुषों को कैसे जागरूक किया जा सकता है?

8) ऑनर किलिंग कैसे दूर किया जा सकता है?

9) झारखण्ड में महिला पलायन और ट्रैफिकिंग की समस्या का क्या समाधान है?

10) महिलाओं की अभिव्यक्ति पर रोक क्यों किया जाता है?

उपरोक्त विभिन्न प्रश्नों के जवाब देने के लिए निम्न शिक्षिकाओं का पैनल बनाया गया — संचालन: डा० रेणु दिवान (R.U.W.G.R.C) – सदस्य सचिव

सदस्य: (1) डा० सरस्वती मिश्रा – अध्यक्ष (R.U.W.G.R.C)

(2) श्रीमति चौधरी – रामलखन सिंह कॉलेज

(3) डा० E. A. IHD – मारवाड़ी कॉलेज

(4) डा० पम्पा सेन – संत गांधी मेमोरियल कॉलेज

पैनल के सदस्यों ने महिला उत्पीड़न व हिंसा के लिए पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को उत्तरदायी माना और महिला-पुरुष समानता लाने के लिए जेंडर (महिला-पुरुष) जागरूकता पर बल दिया गया - जिसका आरम्भ परिवार से ही किया जा सकता है। पैनल के सदस्यों द्वारा छात्र-छात्राओं को कानून एवं सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई.

— डा० रेणु दिवान
09/03/16